भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
रेल संरक्षा आयोग, पूर्वोत्तर परिमण्डल

हजरतगंज, लखनऊ–226001

संख्याः एसएसी/3/2014–15/एनईआर/15 दिनांक 06.04.2015

सेवा में,

मुख्य आयुक्त रेल संरक्षा,
अशोक मार्ग,
लखनऊ.

विषय : दिनांक 09.03.2015 को लगभग 08.10 बजे उत्तर पूर्व रेलवे के वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट–पनियहवा बीजी गैर–विद्युतीकृत एकल लाइन सेक्शन के किमी. 385/4–5 में गोरखपुर कैंट–उनौला स्टेशनों के बीच मानव रहित समपार नं0 2ए में 55202 डाउन गोरखपुर–नरकटियागंज पैसेन्जर रेलगाड़ी की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर–प्रारंभिक रिपोर्ट।

——

महोदय,

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी रेल दुर्घटना सांविधिक जांच नियमावली के नियम 3 के अनुसार दिनांक 09.03.2015 को लगभग 08.10 बजे पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट–पनियहवा बीजी गैर–विद्युतीकृत एकल लाइन सेक्शन के किमी. 385/4–5 में गोरखपुर कैंट–उनौला स्टेशनों के बीच मानव रहित समपार नं0 2ए में 55202 डाउन गोरखपुर–नरकटियागंज पैसेन्जर रेलगाड़ी की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर के मामले में, मैं एतद्वारा, सांविधिक जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट अग्रसारित करता हूं।

1. प्रस्तावना

1.1 दिनांक 09.03.2015 को लगभग 08.10 बजे जब डीजल लोको 14864 डब्ल्यूडीजी 3ए और 08 कोचों के संयोजन सहित 55202 डाउन गोरखपुर–नरकटियागंज पैसेन्जर रेलगाड़ी गोरखपुर कैंट–उनौला स्टेशनों के बीच चल रहीं थी, तब इसकी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट–पनियहवा बीजी गैर–विद्युतीकृत एकल लाइन सेक्शन पर मानव रहित समपार सं. 2 ए में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ टक्कर हो गई।

1.2 निरीक्षण एवं जांच :

1.2.1 दिनांक 09.03.2015 को 12.00 बजे मेरे मोबाइल पर मुख्य संरक्षा अधिकारी/पूर्वोत्तर रेलवे से एक फोन आया, जिसमें मुझे सूचित किया गया कि मानव रहित समपार सं. 2ए में एक दुर्घटना हो गई है। इसमें पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट–पनियहवा बीजी एकल लाइन सेक्शन के गोरखपुर कैंट–उनौला स्टेशनों के बीच 55202 डाउन गोरखपुर–नरकटियागंज

पैसेन्जर गाड़ी की एक ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर हो गई है। मुझे यह भी सूचित किया गया कि दुर्घटना में रेलगाड़ी की एक सवारी को गंभीर चोट आई है तथा दो सवारियों को साधारण चोट लगी हैं। मैंने मुख्य संरक्षा अधिकारी/पूर्वोत्तर रेलवे को बताया कि मैं 11.03.2015 को 10.30 बजे से गोरखपुर में दुर्घटना की सांविधिक जांच आयोजित करूंगा तथा उन्हें सुरागों के संरक्षण और स्थल के फोटोग्राफ लेने की व्यवस्था करने की सलाह दी। मैंने मुख्य आयुक्त रेल संरक्षा को भी घटना तथा दिनांक 11.03.2015 से जांच आयोजित करने के अपने इरादे के बारे में भी सूचित किया।

1.2.2 मैं 10.03.2015 को लखनऊ से कृषक एक्सप्रेस द्वारा रवाना हुआ और 11.03.2015 को 06.15 बजे गोरखपुर पहुंचा। मुख्य संरक्षा अधिकारी/पूर्वोत्तर रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक/ वाराणसी तथा अन्य शाखा अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। साइट पर पड़े ट्रैक्टर ट्रॉली के क्षतिग्रस्त हिस्सों को देखा गया था। स्थल का निरीक्षण करने के उपरांत, मैं घायल रेल सवारियों से मिला जिन्हें एल. एन. मिश्र रेलवे चिकित्सालय, गोरखपुर में भर्ती कराया गया था। घायल सवारियों के बयान लिये गये थे। घायल सवारियां एल. एन. मिश्र रेलवे चिकित्सालय, गोरखपुर में दिये जा रहे इलाज और देखभाल से संतुष्ट पाये गये थे।

1.2.3 जांच 11.03.2015 को 10.30 बजे वीआईपी अधिकारी विश्राम गृह, गोरखपुर में आयोजित की गई थी। समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके जांच आयोजित करने के संबंध में अधिसूचना प्रकाशित कराई गई थी। वाराणसी मंडल अधिकारियों ने सिविल और पुलिस अधिकारियों का भी सूचित किया था। जांच के दौरान निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे :

1.	श्री एन. के. अम्बिकेश,	मुख्य संरक्षा अधिकारी/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
2.	श्री एस. के. कश्यप,	मंडल रेल प्रबंधक/वाराणसी संबंधित शाखा अधिकारियों सहित।
3.	श्री एम. के. अग्रवाल,	मुख्य चालन शक्ति इंजीनियर/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
4.	श्री एस. के. मिश्रा	मुख्य योजना एवं डिजाइन इंजीनियर/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

रेलवे बोर्ड ने जांच में प्रतिनिधित्व करने हेतु किसी को नामित नहीं किया था। महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे ने जांच में रेलवे प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने हेतु मुख्य संरक्षा अधिकारी/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर को नामित किया था।

1.2.4 दुर्घटना स्थल में सुरागों का संरक्षण :

दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के उपरांत वाराणसी मंडल के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों द्वारा दुर्घटना संबंधी संयुक्त नोट बनाया गया था।

रेलवे प्रशासन ने घटना स्थल के स्टिल फोटोग्राफ खींच लिये थे।

मंडल द्वारा 55202 डाउन गोरखपुर–नरकटियागंज पैसेन्जर के डीजल इंजन नं. 14864 डब्ल्यूडीजी 3ए की गति का रिकार्ड सुरक्षित कर लिया गया था तथा गति, समय और रेल इंजन की दूरी चार्ट का एक प्रिंट–आउट उपलब्ध कराया गया था।

1.3 दुर्घटना :

1.3.1 08 कोचों के भार वाली 55502 डाउन गोरखपुर–नरकटियागंज पैसेन्जर रेलगाड़ी रेल इंजन सं. 14864 डब्ल्यूडीजी 3ए द्वारा वाहन की जा रही थी और यह 07.40 बजे गोरखपुर से अपनी

यात्रा पर रवाना हुई थी। यह गोरखपुर कैंट 07.52 बजे पहुंची और 07.59 बजे वहां से रवाना हुई थी। रेलगाड़ी 09.03.2015 को लगभग 08.10 बजे पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट–पनियहवा बीजी गैर–विद्युतीकृत एकल लाइन सेक्शन के गोरखपुर कैंट–उनौला स्टेशनों के बीच किमी. 385/4–5 पर 'सी' श्रेणी वाले मानव रहित समपार नं0 2ए में एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई।

1.3.2 इस दुर्घटना के फलस्वरूप ट्रैक्टर और इसकी ट्रॉली एक दूसरे से अलग हो गये। ट्रैक्टर ट्रॉली के आगे का हिस्सा समपार फाटक से उनौला की ओर लगभग 50 मीटर की दूरी पर पड़ा हुआ था। मिट्टी लदी हुई ट्रैक्टर ट्राली समपार के निकट खड़ी थी। ट्रैक्टर के हिस्से रेल इंजन के काउ–कैचर में फंस गये थे।

1.3.3 घायल सवारियों को उनौला स्टेशन से रेलवे चिकित्सा एम्बुलेन्स द्वारा एल. एन. मिश्र रेलवे चिकित्सालय भेज में भर्ती कराया गया था।

1.3.4 09.15 बजे रेलपथ को फिट दे दिया गया था। रेलगाड़ी दुर्घटना स्थल से 09.20 बजे रवाना हुई और 09.26 बजे उनौला पहुंची।

1.4 मौसम की प्रकृति :

दुर्घटना के समय मौसम साफ था।

1.5 जनहानियां :

मुझे यह रिपोर्ट करते हुए दुःख है कि दुर्घटना के कारण रेलगाड़ी की तीन सवारियों को चोटें आईं। एक गंभीर रूप से घायल था और दो को साधारण चोटें लगी थी। किसी सड़क प्रयोक्ता को चोट नहीं लगी थी।

1.6 यात्री मात्रा :

55202 डाउन गोरखपुर–नरकटियागंज पैसेन्जर 08 कोच के भार सहित चल रही थी। रेलगाड़ी में 600 सवारियों की क्षमता के सापेक्ष लगभग 950 सवारी बैठे हुए थे।

2. राहत उपाय

2.1 सूचना

दुर्घटना के बाद 08.20 बजे सीयूजी फोन पर रेलगाड़ी सं. 55202 के गार्ड के माध्यम से वाराणसी नियंत्रण कक्ष में सूचना प्राप्त की गई थी।

2.2 चिकित्सा देखभाल और राहत :

2.2.1 दुर्घटना के बारे में स्टेशन मास्टर/उनौला और गोरखपुर कैंट ने सिविल अधिकारियों और 108 आपातकालीन एम्बुलेन्स सेवा को सूचित किया था।

2.2.2 रेलवे एम्बुलेन्स दुर्घटना स्थल पर 09.40 बजे पहुंची थी और प्राथमिक उपचार करने के उपरांत रेलवे एम्बुलेन्स द्वारा तीनों घायल सवारियों को एल. एन. एम. चिकित्सालय भेज दिया गया था।

सभी तीनों घायल सवारियों को एल. एन. एम. चिकित्सालय, गोरखपुर में 10.50 बजे भर्ती किया गया था।

2.2.3 नियंत्रण कक्ष द्वारा गोरखपुर स्टेशन से एआरएमवी का आदेश दिया गया था। यह 08.55 बजे गोरखपुर से रवाना हुई और 09.10 बजे गोरखपुर कैंट स्टेशन पहुंची। इसे गोरखपुर कैंट स्टेशन पर समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि दुर्घटना स्थल पर इसकी आवश्यकता नहीं थी।

2.2.4 मैंने एल.एन.एम. चिकित्सालय में भर्ती घायल सवारियों से चिकित्सा सुविधा एवं राहत उपायों के संबंध में पूछताछ की थी और पाया कि तत्काल कार्रवाई की गई थी तथा बचाव एवं राहत कार्य में कोई विलंब नहीं हुआ था।

2.2.5 अनुग्रह भुगतान :

घायलों को निम्नलिखित अनुग्रह धनराशि का भुगतान किया गया था :–

गंभीर घायल	रू. 25000/–
साधारण घायल	रू. 5000/–

घायल सवारियों को कुल 35000/– की धनराशि का भुगतान किया गया था।

2.3 बहालीकरण :

रेल इंजन के काउ–कैचर से ट्रैक्टर की फंसे हिस्सों को हटाने के उपरांत 09.15 बजे रेलपथ को फिट दिया गया तथा यातायात बहाल कर दिया गया था।

2.3.1 यात्री यातायात का अवरोध :

दुर्घटना के कारण निम्नलिखित रेलगाड़ियां विलम्बित हुई थीं :–

1. 55202 डाउन–ब्लॉक सेक्शन (गोरखपुर कैंट–उनौला) में 73 मिनट और उनौला स्टेशन में 60 मिनट।
2. 55041 अप पिपराइच स्टेशन पर 50 मिनट और उनौला स्टेशन में 20 मिनट।
3. 55201 अप कप्तान गंज स्टेशन में 115 मिनंट।
4. 55075 अप 50 मिनट स्टेशन में कप्तानगंज और पिपराइच स्टेशन में 60 मिनट।

3. रेलगाड़ी

3.1 55202 डाउन गोरखपुर–नरकटियागंज पैसेन्जर का रेल इंजन :

(1) रेलगाड़ी 55202 डाउन गोरखपुर–नरकटियागंज पैसेन्जर को समस्तीपुर लोको शेड का डीजल रेल इंजन नं. 14864 डब्ल्यूडीजी 3 ए खींच रहा था। इंजन का वजन 123.00 टन था। रेल इंजन डीएलडब्ल्यू/वाराणसी में बनाया गया था और इसे 01.06.2000 को कमीशन किया गया था। रेल इंजन में हेड लाइट, स्पीडोमीटर, स्पीड रिकर्डर, फ्लैशर लाइट लगाये गये थे और सभी कार्य कर रहे थे। 07.01.2015 को पीओएच के उपरांत, रेल इंजन का पिछला ट्रिप निरीक्षण 21.02.2015 को किया गया था। दुर्घटना घटने के पहले रेल इंजन अच्छी हालत में था। रेल इंजन में माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल लगा हुआ था।

(2) कोचें :

55202 डाउन गोरखपुर–नरकटियागंज पैसेन्जर रैक में 08 कोच लगीं थीं और बंधन–क्रम और अन्य विवरण नीचे दिये गये हैं :–

क्रसं	इंजन से संख्या	कोच सं.	बॉडी एवं टाइप	बनाने का वर्ष	पिछली पीओएच का तिथि	वापसी की तिथि
1	पहला	02712एसएलआरडी/एनईआर	आईसीएफ	2002	जीकेपीएस 31.03.14	08/15
2	दूसरा	94603सीएससीजेड/ईसीआर	आईसीएफ	1994	जीकेपीएस 22.05.14	12/15
3	तीसरा	04490जीएस/एनईआर	आईसीएफ	2004	जीकेपीएस 25.09.13	04/15
4	चौथा	99406जीएस/ईसीआर	आईसीएफ	1999	बीपीएल 09.08.13	09/15
5	पांचवा	93483जीएस/एनईआर	आईसीएफ	1993	जीकेपीएस 09.01.15	08/16
6	छठा	09499जीएस/एनईआर	आईसीएफ	2009	जीकेपीएस 07.01.15	08/16
7	सांतवां	95743 एसएलआर/एनईआर	आईसीएफ	1995	जीकेपीएस 10.03.14	10/15
8	आठवां	98945 जीएस/ईसीआर	आईसीएफ	1998	जीकेपीएस 22.05.14	12/15

3.2 रेलगाड़ी की लंबाई, वजन एवं ब्रेक पॉवर :

(क) रेल इंजन को छोड़कर 55202 डाउन गोरखपुर–नरकटियागंज पैसेन्टर की कुल लंबाई 178.4 (लगभग) और वजन 294.80 टन (इंजन और यात्रियों को छोड़कर) था।

(ख) रेलगाड़ी पूर्णतः एयर ब्रेक युक्त थी और ब्रेक पॉवर 100 प्रतिशत था।

3.3 क्षति एवं डिस्पोजीशन :

3.2.1 चल स्टॉक (कोच) कुछ नहीं।

3.2.2 55202 डा. पैसेन्जर का रेल इंजन रू.31500.00

3.2.3 रेलमार्ग कुछ नहीं।

3.2.4	सिगनल एवं दूरसंचार	कुछ नहीं।
	योग	**रू.31500.00**

4 – स्थानीय विशेषतायें

4.1 सेक्शन एवं स्थल :

घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सिविल जिला में पड़ने वाले पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट–पनियहवा ब्राड गेज एकल लाइन गैर–विद्युतीकृत सेक्शन पर गोरखपुर कैंट–उनौला स्टेशनों के बीच किमी. 385/4–5 में सी श्रेणी की मानव रहित समपार सं. 2 ए पर घटित हुई थी। रेलगाड़ी गोरखपुर कैंट स्टेशन से आ रही थी और बिना नंबर वाली एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई थी, जो मानव रहित समपार पर रुक गई थी। दुर्घटना स्थल में रेलपथ दक्षिण से उत्तर दिशा में जाता है। रेलपथ समतल जमीन पर था।

4.2 सिगनल व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली :

गोरखपुर–पनियहवा सेक्शन एक गैर–विद्युतीकृत एकल लाइन सेक्शन है और इस पर रेलगाड़ी अब्सॉल्यूट ब्लॉक प्रणाली पर चलती है। सेक्शन में रंगीन लाइट सिगनल व्यवस्था लगाई गई है। स्टेशनों को मानक–।। (आर) इन्टरलॉकिंग मानक के अनुसार इन्टरलॉक किया गया है। सेक्शन को वाराणसी में स्थित नियंत्रण कार्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

4.3 समपार सं. 2 ए :

'सी' श्रेणी का यह मानव रहित समपार गोरखपर कैंट–उनौला स्टेशनों के बीच किमी.385/4–5 में स्थित है। मई, 13 में इस समपार का टीयूवी 1161 रिकॉर्ड किया गया था। दुर्घटना के बाद एक विशेष गणना की गई और मार्च, 15 में टीवीयू 2208 रिकॉर्ड किया गया। समपार में सड़क रेलपथ के साथ 90 डिग्री के कोण पर है। सड़क दाहिनी ओर चिलबेलवा गांव को जोड़ती है और बाईं ओर रामपुरवा गांव को जाती है। सड़क समपार के साथ ही साथ पहुंच मार्ग पर धातुकृत है। चार पहिया और ट्रैक्टर ट्रॉलियां मानव रहित समपार से पास होती हैं। सड़क बिना गड्ढों के संतोषजनक स्थिति में थीं। रेलपथ की मध्य रेखा से 5.1 मीटर की दूरी पर दोनों ओर 'रुकिये' के बोर्ड लगाये गये थे। रेलपथ की मध्य रेखा से 3.1 मीटर की दूरी में गेट पोस्ट लगाये गये थे। रेलवे बाउन्ड्री के दाहिनी ओर 27.2 मीटर में और बाईं ओर 13.6 मीटर में और सिविल एरिया से रेलपथ की मध्य रेखा से 23.10 मी. की दूरी पर गति अवरोध लगाये गये थे। रेलवे के हिस्से में सड़क की चौड़ाई 5 मीटर और रेलवे की जमीन के बाहर 3 मीटर थी। समपार से 600 मीटर पर दोनों ओर ''विशिल बोर्ड'' उपलब्ध थे। सड़क प्रयोगकर्ताओं हेतु दोनों ओर 800 मीटर से अधिक की दृश्यता थी। सड़क बाईं ओर पूर्णतः समतल थी और यह दाहिनी ओर 10 मीटर तल समतल और उसके बाद 20 मीटर तक 17 में 1 के हल्के ढलान में थी। समपार में 7.50 मीटर की चेक रेल्स का प्रावधान किया गया था।

4.4 स्टेशन/स्थिति के महत्वपूर्ण किमी. : विभिन्न बिंदुओ के किलोमीटर, जैसा कि इस रिपोर्ट में वर्णित है :

गोरखपुर	504 / 8–9
गोरखपुर कैंट	501 / 1–2
फाटक नं. 2 ए	385 / 5–4 (कार्य प्रणाली समय सारिणी में 385 / 6–7 गलती से दर्शाया गया है।)
उनौला स्टेशन	384 / 1–2

4.5 अनुमेय गति और गति प्रतिबंध :

गोरखपुर–नरकटियागंज सेक्शन में पैसेन्जर रेलगाड़ियों की अनुमेय गति 100 किमी. प्रति घंटा है। ब्लॉक सेक्शन में कम ट्रांजिशन लंबाई सहित 2.5 डिग्री वक्र के कारण किमी. 389 / 5 से 390 / 6 तक 75 किमी. प्रति घंटा का स्थायी गति प्रतिबंध लगा था और दुर्घटना के दिन गोरखपुर कैंट–उनौला ब्लॉक सेक्शन के बीच कोई अस्थायी गति प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।

4.6 मुख्यालय :

रेलपथ — वरिष्ठ मंडल इंजी.– I / वाराणसी, वरिष्ठ सहायक मंडल इंजी. / पूर्व / गोरखपुर, एस.एस.ई. / रेलपथ / कप्तान गंज, जूनियर इंजीनियर / रेलपथ / कप्तान गंज।

सिग. एवं दूर. — वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूरसंचार. इंजी. / वाराणसी, सहा. मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर / गोरखपुर।

यातायात निरी. यातायात निरीक्षक / सीपीजे

नियंत्रण — पूर्वोत्तर रेलवे / वाराणसी।

5. मुख्य विशेषतायें

5.1 'सी' श्रेणी का मानव रहित समपार 2 ए सीधे रेलपथ पर स्थित है। सड़क रेलपथ को समकोण में पार करती है।

5.2 बिना किसी गड्ढे वाली सड़क सतह की दशा संतोषजनक थी।

5.3 सड़क प्रयोगकर्ताओं हेतु रेलगाड़ी की दृश्यता 'रुकिये' के बोर्ड से 800 मीटर से अधिक की थी।

5.4 बिना रक्षक वाले समपार के सड़क प्रयोगकर्ताओं को चेतावनी देने के लिए समपार के दोनों ओर ''रुकिये'' के बोर्ड उपलब्ध थे।

5.5 जिस ओर से ट्रैक्टर मानव रहित समपार पर आ रहा था उस ओर 13.6 मीटर और 23.1 मीटर की दूरी में दो गति अवरोधक उपलब्ध थे।

5.6 जिस ओर से ट्रैक्टर मानव रहित समपार आ रहा था उस ओर 31 मीटर की दूरी में गति अवरोध निशान बोर्ड उपलब्ध था।

5.7 समपार के दोनों ओर 600 मीटर में रेलगाड़ियों हेतु ''विशिल बोर्ड'' उपलब्ध थे।

5.8 चूंकि सड़क रेलपथ के 90 डिग्री कोण पर है, इसलिए ट्रैक्टर ट्रॉली को मानव रहित समपार की निगोशिएबिलिटी अच्छी थी।

5.9 घायल सवारियों के अनुसार समपार की पहुंच पर ड्राइवर सीटी बजा रहा था।

5.10 समपार की पहुंच पर रेलगाड़ी के गार्ड ने भी इंजन की सीटी सुनी थी।

5.11 मोटर वाहन अधिनियम की उपधारा 131 के अनुसार किसी मानव रहित समपार की अप्रोच में मोटर वाहन का प्रत्येक चालक अपने वाहन को रोकेगा और वाहन का चालक कन्डक्टर अथवा क्लीनर अथवा अनुचर अथवा वाहन में बैठे किसी व्यक्ति को समपार पर भेजेगा और सुनिश्चित करेगा कि कोई रेलगाड़ी अथवा ट्रॉली किसी ओर से नहीं आ रही है और तब मोटर वाहन को ऐसे समपार को पार करायेगा और जहां कोई कन्डक्टर अथवा क्लीनर अथवा कोई अन्य व्यक्ति वाहन में उपलब्ध नहीं है, तो रेलवे रेलपथ पार करने से पूर्व किसी ओर से कोई रेलगाड़ी अथवा ट्रॉली नहीं आ रही है, सुनिश्चित करने के लिए वाहन का ड्राइवर स्वयं वाहन से नीचे आयेगा।

5.12 एक प्रत्यक्षदर्शी जिसका बयान पीडब्ल्यूआई/कप्तानगंज एवं यातायात निरीक्षक/कप्तानगंज द्वारा दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के बाद रिकार्ड किया गया था, ट्रैक्टर के ड्राइवर ने अपने ट्रैक्टर को आने वाली रेलगाड़ी की जांच करने हेतु ''रुकिये'' के बोर्ड पर नहीं रोका, जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की उपधारा 131 में निर्दिष्ट है। ट्रैक्टर के मालिक ने भी, ट्रैक्टर ट्राली पर यात्रा कर रहे व्यक्ति के साथ अपनी बातचीत के आधार पर, इस तथ्य की पुष्टि की है।

6. अनंतिम निष्कर्ष

6.0 अब तक मेरे समक्ष आये तथ्य, सामग्री और परिस्थितिजन्य साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विचार करके, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दिनांक 09.03.2015 को पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर–पनियहवा सेक्शन पर गोरखपुर कैंट–उनौला स्टेशन के बीच मानव रहित समपार सं. 2 ए में रेलगाड़ी सं. 55202 डाउन गोरखपुर–नरकटियागंज पैसेन्जर का एक बिना नंबर वाली ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ टक्कर, ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर द्वारा चालन में लापरवाही के कारण हुई थी।

तदनुसार, दुर्घटना **''मानव रहित रेलवे समपार से पार करने में सड़क वाहन चालक की त्रुटि'' की कोटि''** के अंतर्गत आती है।

7– तत्काल संस्तुतियां

7.1 रेलवे प्रशासन को सिविल एवं पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क करना चाहिए और इस बात के लिए सहमत करना चाहिए कि वे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की उपधारा 131 के

प्रावधानों को उल्लंघन करने तथा यात्रियों का जीवन खतरे में डालने वाले वाहन चालकों को डराने के लिए मानव रहित समपारों में अक्सर जांच आयोजित करें।

7.2 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की उपधारा 131 के प्रावधानों का सड़क प्रयोक्ताओं को सूचित करने तथा शिक्षित करने हेतु व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

(पी. के. बाजपेयी)
रेल संरक्षा आयुक्त
पूर्वोत्तर परिमंडल, लखनऊ

संख्या : एसएसी/3/201–15/एनईआर दिनांक 06.04.2015

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर.
2. सचिव (संरक्षा),रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

(पी. के. बाजपेयी)
रेल संरक्षा आयुक्त
पूर्वोत्तर परिमंडल, लखनऊ

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एडीईएन	सहायक मंडल इंजीनियर

एएलपी	सहायक लोको पॉयलट
एआरएमई	ऑक्जिलियरी रिलीफ मेडिकल इक्यूपमेन्ट
बीजी	ब्रॉड गेज (बड़ी लाइन)
सीसीआरएस	मुख्य आयुक्त रेल संरक्षा
सीएसओ	मुख्य संरक्षा अधिकारी
सीएमपीई	मुख्य चालन शक्ति इंजीनियर
सीपीडीई	मुख्य योजना एवं डिजाइन इंजीनियर
सीटीएनएल	मुख्य नियंत्रक
सीयूजी	क्लोस्ज यूजर ग्रुप
डीएलडब्ल्यू	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स
डीएसटीई	मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर
डीआरएम	मंडल रेल प्रबंधक
डीएन	डाउन
डीवाई	डिप्टी/उप
जीएम	महाप्रबंधक
एचक्यू	मुख्यालय
जेएन	जंक्शन
जेई	जूनियर इंजीनियर
केएमपीएच	कि. मी. प्रति घंटा
लोको	लोकोमोटिव/रेल इंजन
एलसी	समपार
एलपी	लोको पॉयलट
पीओएच	आवधिक ओवरहॉलिंग
एसआरडीएसटीई	वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर

एसआरडीईएन	वरिष्ठ मंडल इंजीनियर
एसआरडीएसटीई	वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर
एसएसई	वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर
एसएंडटी	सिगनल एवं दूरसंचार
टीआई	यातायात निरीक्षक
टीवीयू	रेलगाड़ी वाहन इकाई
यूएमएलसी	मानव रहित समपार
डब्ल्यूडीजी/3ए	रेल इंजन का प्रकार

स्टेशन कोड :

बीएसबी	वाराणसी
सीपीजे	कप्तानगंज
जीकेसी	गोरखपुर कैंट
जीकेपी	गोरखपुर
एलकेओ	लखनऊ
पीपीसी	पिपराइच
यूएनएलए	उनौला